न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक [illegible] 2011–[illegible]/2002 विरुद्ध आदेश दिनांक 1–7–2002 पारित द्वारा अतिरिक्त कमिश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर प्रकरण क्रमांक 111/अ–6/95–96

गोरेलाल वल्द मूलचंद तिवारी
ग्राम चनगुवा, प.ह. 32
पोस्ट मझोली, तह. सिहोरा
जिला जबलपुर

.... अपीलार्थी

विरूद्ध

1– हिमांचल सिंह वल्द गुलाबसिंह ठाकुर
ग्राम चनगुवा, तह. सिहोरा
जिला जबलपुर

2– म.प्र. शासन

.... [illegible] अपी [illegible]

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज [illegible] तिवारी
अनावेदक क्र. 1 हिमांचल सिंह स्वयं ।

([illegible] दिनांक [illegible] को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 111/अ–6/95–96 में पारित आदेश दिनांक 1–7–20[illegible] के विरुद्ध म[illegible] राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 [illegible] के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विस्तार से [illegible] होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

3/ प्रकरण में दोनों पक्षों [illegible] लिखित [illegible] पेश की [illegible] ।

4/ उभयपक्षों के [illegible] तर्कों [illegible] किया एव अभिलेख का अवलोकन किया । अपर आयुक्त के आदेश का अवलोकन

[illegible]

से स्पष्ट आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी संहिता की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई थी जिसे उन्होंने स्वीकार करते हुए नायब तहसीलदार [illegible] आदेश निरस्त कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को उभयपक्ष की नये सिरे से सुनवाई कर गुणदोषों के आधार पर विधिसम्मत आदेश पारित करने [illegible] प्रत्यावर्तित किया गया [illegible] आदेश [illegible] विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय [illegible] प्रस्तुत की गई है जो प्रचलन योग्य नहीं है क्योंकि संहिता की धारा 46 [illegible] प्रावधानों के तहत प्रत्यावर्तन आदेश के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती [illegible] उक्त आदेश की निगरानी की जाना चाहिए थी अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपील को निगरानी में परिवर्तित करने हेतु कोई अनुरोध भी नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में उसके द्वारा प्रस्तुत अपील प्रचलन योग्य नहीं है और इसी आधार पर निरस्ती योग्य है

5– यदि प्रकरण को गुणदोषों पर भी देखा जाये तब भी आलोच्य आदेश [illegible] किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपर [illegible] विस्तार से विवेचना [illegible] नायब तहसीलदार [illegible] अपीलार्थी गोरेराम के द्वारा यह आपत्ति की गई थी कि सहायक [illegible] अधिकारी ने मोके पर नक्शा तैयार कर नक्शा प्रस्तुत किया है और नायब तहसीलदार एवं सहायक बंदोबस्त अधिकारी के पद समान है इसलिए [illegible] अधिकारी की बिना अनुमति के अभिलेख का संधारण नहीं किया जा [illegible] नायब तहसीलदार ने [illegible] आपत्ति को निरस्त करते [illegible] यह लिखा [illegible] अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है । इसके विरुद्ध निगरानी [illegible] न्यायालय में पेश की गई । निगरानी में ना तो अभिलेख भेजा गया और न [illegible] उनके समक्ष अनावेदक उपस्थित हुआ प्रकरण में अपर आयुक्त ने यह [illegible] । उक्त आदेश के बाद [illegible] प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया जबकि उन्होंने दिनांक [illegible] आदेश पत्रिका में यह माना है कि दुरुस्ती करने हेतु [illegible] अधिकारी की [illegible] की आवश्यकता नहीं है [illegible] नायब तहसीलदार [illegible] अपना [illegible] अनुविभागीय अधिकारी [illegible] प्रकरण [illegible] हो जाता । अपर आयुक्त ने 5-6 वर्ष की अवधि जो बीते उसे नायब तहसीलदार [illegible]

की स्वेच्छाचारिता मानते हुए उनके आदेश को निरस्त कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को उभयपक्ष को नये सिरे से सुनवाई कर निराकरण हेतु भेजा गया है अपर आयुक्त का आदेश विधिसम्मत, उचित और न्यायोचित है और उसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है । आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्त होगा । दर्शित परिस्थिति मे अपर आयुक्त के आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

परिणामतः यह अपील आधारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर